सत्यमेव जयते

भारत सरकार *Government of India*
रेल मंत्रालय *Ministry of Railways*
रेलवे बोर्ड *Railway Board*

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

Office Order No. 33 of 2025

Sub.: **Delegation of Powers in Respect of Consultancy Contracts in Railway Board reg.**
Ref.: **Office Order No. 55 of 2017.**

In supersession of Office Order No. 63 of 2019 and in partial modification to Office Order No. 55 of 2017, the following delegation of powers in respect of Consultancy Contracts has been decided:

i) Consultancy Contacts of value up to **Rs. 25 Crores** may be accepted by the concerned Additional Member based on the recommendation of a duly constituted Tender Committee. However, for obtaining consultancy on nomination basis, approval of the concerned Board Member may be obtained by routing the file through the Additional Member (Finance), before the financial proposal is called for from the party.

ii) Consultancy Contacts of value **more than Rs 25 Crores and up to Rs. 50 Crores** may be accepted by the concerned Board Member based on the recommendation of a duly constituted Tender Committee. However, for obtaining consultancy on nomination basis, approval of the *Chairman Railway Board* may be obtained by routing the file through the Additional Member of the concerned Department, Additional Member(Finance) *and Member(Finance),* before the Financial proposal is called for from the party.

iii) Consultancy Contracts of value **more than Rs. 50 Crores** may be accepted by Chairman Railway Board based on the recommendation of a duly constituted Tender Committee. However, for obtaining consultancy on nomination basis, prior approval of Chairman Railway Board may be obtained by routing the file through the concerned Additional Member, Additional Member(Finance), the concerned Board Member and Member(Finance), before the financial offer is called for from the party.

iv) In case of consultancy on nomination basis, after the financial offer is received from the party (for i, ii & iii above), the offer will be examined by appropriate evaluation committee formed with the approval of accepting authority.

2. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2025/O&M/5/2
Dated: 08.05.2025

(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email ID: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building & Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:

CRB&CEO, M/T&RS, MI, MF, MO&BD

Copy to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG MoSR(S)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

<u>2025 का कार्यालय आदेश सं.33</u>

विषय: रेलवे बोर्ड में परामर्श संविदाओं के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन।
संदर्भः 2017 का कार्यालय आदेश संख्या 55

2019 के कार्यालय आदेश संख्या 63 के अतिक्रमण में तथा 2017 के कार्यालय आदेश संख्या 55 में आंशिक आशोधन करते हुए, परामर्श संविदाओं के संबंध में शक्तियों के प्रत्यायोजन को निम्नानुसार करने का विनिश्चय किया गया है:

i) **25 करोड़ रुपए तक** के मूल्य वाली परामर्श संविदाओं के मामले में विधिवत् रूप से गठित निविदा समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित अपर सदस्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। बहरहाल, नामांकन के आधार पर परामर्श प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव मांगने से पूर्व अपर सदस्य (वित्त) के माध्यम से भेजी गई फाइलों पर, संबंधित बोर्ड सदस्य से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

ii) **25 करोड़ रुपए से अधिक और 50 करोड़ रुपए तक** मूल्य वाली के परामर्श संविदाओं को विधिवत् रूप से गठित निविदा समिति सिफारिशों के आधार पर संबंधित बोर्ड सदस्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। बहरहाल, नामांकन आधार पर परामर्श प्राप्त करने के लिए पार्टी से प्रस्ताव मांगने से पूर्व, संबंधित अपर सदस्य, अपर सदस्य (वित्त) और सदस्य (वित्त) के माध्यम से फाइलों को भेज कर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

iii) **50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य** की परामर्श संविदाओं को विधिवत्त रूप से गठित निविदा समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जाए। बहरहाल, नामांकन आधार पर परामर्श प्राप्त करने के लिए पार्टी से प्रस्ताव मांगने से पूर्व संबंधित अपर सदस्य, अपर सदस्य (वित्त), संबंधित बोर्ड सदस्य और सदस्य (वित्त) के माध्यम से भेजी गई फाइल पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

iv) नामांकन के आधार पर परामर्श के मामले में पार्टी से वित्तीय पेशकश प्राप्त होने के पश्चात (उपरोक्त ।, ii और iii), स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गठित उपयुक्त मूल्यांकन समिति द्वारा पेशकश की जांच की जाएगी।

2. इस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2025/ओएंडएम/5/2
दिनांक: 08.05.2025

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in
टेलीफोन नं.- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय,कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य अवसंरचना, सदस्य वित्त, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास

प्रतिलिपि प्रेषितः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस)